

राष्ट्रीय एल्यूमीनियम कंपनी, लिमिटेड

बनाम

आन्ध्रप्रदेश राज्य व अन्य

(सिविल अपील सं. 1416/2008)

19 फरवरी, 2008

[ डाॅ. अरिजीत पसायत ओर पी. सतशिवम, जे.जे.]

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956, धारा 4(2)/आन्ध्रप्रदेश  
सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1956

वस्तुआेँ की बिक्री पर बिक्री कर- एक सरकारी कम्पनी जो आन्ध्रप्रदेश में एक बंदरगाह के माध्यम से एल्यूमीनियम/वस्तुआेँ का निर्यात करती है। शुल्क पात्रता पास बुक्स स्कीम (डी.ई.पी.बी.) के तहत शुल्क पात्रता अर्जित करने वाली - इसके तहत उड़ीसा में अपने निगमित कार्यालय से पात्रता की नीलामी- बिक्री को अन्तर-राज्य मानकर सबसे अधिक बोली लगाने वाले के अधिकार उड़ीसा राज्य को केन्द्रीय बिक्री कर का भुगतान करने वाली बिक्री - आन्ध्र प्रदेश राज्य में अधिकारियों का आंकलन करके बिक्री कर- निर्धारित:- बिक्री कर न्यायाधिकरण के समक्ष मुद्दा इस प्रश्न के निर्धारण तक सीमित था कि क्या कोई बिक्री आन्ध्र प्रदेश राज्य के भीतर हुई थी- वहां न्यायाधिकरण के समक्ष एक निश्चित निष्कर्ष पर आने के

लिए कोई सामग्री नहीं रखी गई थी कि बिक्री को उड़ीसा राज्य के भीतर बिक्री के रूप में माना जा सकता है- न्यायाधिकरण द्वारा ऐसा निष्कर्ष स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हालांकि न्यायाधिकरण यह अभिनिर्धारित करने में सही था कि अन्तर-राज्यीय बिक्री नहीं थी जो आन्ध्रप्रदेश राज्य के भीतर हुई थी।

अपीलार्थी एक सरकारी कंपनी है जिसका अपना उड़ीसा के भुवनेश्वर में निगमित कार्यालय और विशाखपट्टनम, आन्ध्रप्रदेश में व्यापारिक कार्यालय है। अपीलार्थी ने आरोप लगाया कि इसकी सामान की कोई बिक्री या खरीद आन्ध्रप्रदेश राज्य में नहीं हुई थी; कि वे शुल्क पात्रता पास बुक (डी.ई.पी.बी.) लाईसेंस के तहत क्रेडिट अर्जित करेंगे एक्जिम पाॅलिसी के तहत अपने व्यापारिक कार्यालय से उनके निर्यात के परिणामस्वरूप; क्योंकि निर्यात विशाखापत्तनम बंदरगाह पर किया गया था, डी.ई.पी.बी. लाईसेंसों का एक खाता विशाखापत्तनम में सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा बनाए रखा गया था। इस तरह के निर्यात के खिलाफ, याचिकाकर्ता को डी.ई.पी.बी. योजना के तहत कुछ आयात शुल्क का हक मिला। भुवनेश्वर मुख्यालय से इन अधिकारों की खुली नीलामी की गयी। उन नीलामियों में अन्य राज्यों से बोली लगाने वाले सबसे अधिक बोली लगाने वालों के रूप में उभरे। तदनुसार, अपीलार्थी ने डी.ई.पी.बी. लाईसेंस के तहत आयात शुल्क का हक उच्चतम बोलीदाताओं को बेच दिया और

उसको अन्तर-राज्यीय बिक्री मानते हुए, सी.एस.टी. का संग्रहण एवं भुगतान निर्यातक राज्य अर्थात् उड़ीसा को कर दिया आन्ध्रप्रदेश में निर्धारक अधिकारियों ने कारण दर्शाओ नोटिस जारी किया डी.ई.पी.बी. अनुज्ञप्ति हस्तांतरण से संबंधित लेन-देन पर बिक्री कर अधिनियम, 1956 आन्ध्र प्रदेश जनरल के तहत कर लगाने का प्रस्ताव इस आधार पर कि ऐसे अनुज्ञप्ति विशाखापत्तनम बंदरगाह के साथ पंजीकृत थे जिसके माध्यम से निर्यात किया जाता था। आक्षेपित समान निर्णय द्वारा, न्यायाधिकरण ने अपीलार्थी के पक्ष में मामले का फैसला करते हुए कहा कि बिक्री आन्ध्र प्रदेश राज्य के भीतर नहीं हुई थी। बल्कि यह माना कि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 4(2) के अनुसार उड़ीसा राज्य के भीतर हुई थी। इसलिए वर्तमान अपीलें पेश हुईं।

अपीलार्थी ने तर्क दिया कि न्यायाधिकरण ऐसा निष्कर्ष दर्ज नहीं कर सकता था कि उड़ीसा राज्य के भीतर एक बिक्री थी, ओर कि इसमें किसी भी बिक्री कर को आकर्षित करने के लिए कोई बिक्री शामिल नहीं थी लेकिन बिना किसी सामग्री के यह अभिनिर्धारित करते हुए कि उड़ीसा राज्य के भीतर एक अन्तर-राज्यीय बिक्री थी, न्यायाधिकरण इस तरह के निष्कर्ष पर नहीं आ सकता था।

प्रत्यर्थी- आन्ध्रप्रदेश राज्य ने निवेदन किया कि न्यायाधिकरण ने उन बुनियादी मुद्दों का फैसला किया है कि आन्ध्र प्रदेश राज्य के भीतर

कोई बिक्री नहीं थी, लेकिन उड़ीसा राज्य में अन्तर-राज्य बिक्री के बारे में एक अस्थायी निष्कर्ष पर पहुँचे।

आंशिक रूप से अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अवधारित: 1.1 यह स्पष्ट है कि न्यायाधिकरण के समक्ष विचार का दायरा बहुत सीमित था कि क्या कोई बिक्री आन्ध्रप्रदेश राज्य के भीतर हुई। उस मुद्दे का निर्णय करने के बाद, न्यायाधिकरण को किसी अन्य प्रश्न में जाने की आवश्यकता नहीं थी, विशेष रूप से जब प्रासांगिक कारक उसके समक्ष नहीं थे। (पैरा-7) (60-जी,61-ए)

1.2 यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि बिक्री को उड़ीसा राज्य के भीतर बिक्री के रूप में माना जा सकता है। मूल्यांकन अधिकारी गलत परिसरों पर कर लगाने के लिए अग्रसर हुए। अंतिम विश्लेषण में न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि बिक्री आन्ध्रप्रदेश राज्य के भीतर नहीं हुई थी। यह निष्कर्ष कि वे उड़ीसा राज्य में अंतर-राज्यीय बिक्री हैं, स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। (पैरा-7) (61-ए, बी)

1.3 न्यायाधिकरण द्वारा यह सही निर्णय लिया गया था कि आन्ध्रप्रदेश राज्य के भीतर कोई अंतर-राज्यीय बिक्री नहीं थी। लेकिन आगे के निष्कर्ष के लिए कि उड़ीसा राज्य के भीतर एक अंतर-राज्यीय बिक्री थी, सामग्री की जाँच की आवश्यकता थी। ऐसा नहीं किया गया है। न्यायाधिकरण के समक्ष एक निश्चित निष्कर्ष पर आने के लिए कोई

सामग्री नहीं थी, जैसा कि किया गया है, कि लेन-देन को उड़ीसा राज्य के भीतर इंद्रा स्टेट बिक्री माना जाना चाहिए राज्य बिक्री (पैरा-7) (61बी, सी, डी)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 2008 का 1416

बिक्री कर अपीलीय न्यायाधिकरण, आन्ध्रप्रदेश, हैदराबाद टी.एम.पी. नं. 125/2005 के अंतिम आदेश दिनांक 19.05.2006 से

मय

सिविल अपील सं. 2008 का 1417, 1418 और 1419

अपीलार्थी की ओर से गुलाम ई. वाहनवती, एस. जी., पी.के. मनोहर और अशोक कुमार गुप्ता।

उत्तरदाताओं की ओर से एस.एस. गुरुराजा राव, मनोज सक्सेना, रजनीश के. सिंह, राहुल शुक्ला, टी.वी. जाॅर्ज, जनार्दन दास और श्वेतकेतु मिश्रा।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

डाॅ. अरिजीत पासायत, जे.

1. अनुमति दी गई।

2. इन अपीलों में चुनौती कुछ निष्कर्षों के लिए है जो बिक्री कर अपीलीय न्यायाधिकरण आन्ध्रप्रदेश, हैदराबाद (संक्षेप में 'न्यायाधिकरण') द्वारा पारित आदेश में अभिलिखित, टी.एम.पी. नंबर 2005 का 125, 259/2005, 260/2005 और 261/2005

3. संक्षेप में पृष्ठभूमि के तथ्य इस प्रकार हैं:

नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड भारत सरकार की एक कंपनी है। जिसके पंजीकृत कार्यालय भुवनेश्वर में तथा व्यापारिक कार्यालय विशाखापत्तनम सहित कुछ शहरों में हैं। अपीलार्थी के वाणिज्यिक संचालन का एक मुख्य हिस्सा केवल उड़ीसा राज्य में किया जाता है। विदेशों में, निर्यात करने के लिए अपीलार्थी द्वारा विशाखापत्तनम बंदरगाह का उपयोग किया जा रहा है। यह अपीलार्थी का मामला है कि आन्ध्र प्रदेश राज्य में उसके द्वारा माल की कोई बिक्री या खरीद नहीं की जाती है।

यह भी अपीलार्थी का मामला है कि वे उनके निर्यात के परिणामस्वरूप आयात नीति के तहत क्रेडिट ड्यूटी एनटाइटेल्मेंट पासबुक (डी.ई.पी.बी.) लाईसेंस अर्जित करेंगे। 1.4.1997 से 31.3.2001 तक की अवधि, के लिए शुल्क पात्रता पास बुक योजना थी। योजना का उद्देश्य था निर्यात उत्पाद की आयात सामग्री पर सीमा शुल्क की घटनाओं को बेअसर करना। इस तरह के तटस्थीकरण को निर्यात उत्पाद के खिलाफ शुल्क क्रेडिट के अनुदान के माध्यम से प्रदान किया गया था। निर्यात

इकाई को अपने स्वयं के उद्देश्य के लिए या इसे तीसरे पक्ष को हस्तांतरित करने के लिए उक्त ऋण का उपयोग करने का अधिकार भी प्रदान किया गया है।

विशाखापत्तनम बंदरगाह से अपीलार्थी द्वारा किए गए निर्यात के लिए, याचिकाकर्ता डी.ई.पी.बी. द्वारा डी. जी. एफ. आई., कटक, उड़ीसा को सीमा शुल्क समर्थित शिपिंग बिल की प्रति सहित एक आवेदन प्रस्तुत करता है। सीमा शुल्क अधिकारी डी. ई. पी. बी. में उल्लिखित निर्यात का विवरण अपने रिकॉर्ड के साथ जाँच करते हैं, लाइसेंस पंजीकृत करते हैं और मूल लाइसेंस अपीलार्थी को वापस कर देते हैं। यह भी अपीलार्थी का मामला है कि चूंकि अपीलार्थी का निर्यात विशाखापत्तनम बंदरगाह पर होता है डी. ई. पी. बी. लाइसेंसों के खाले का रखरखाव सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा विशाखापत्तनम में किया जाता है।

अपीलार्थी अपने स्वयं के आयात के लिए या तो सीमा शुल्क के भुगतान के लिए डी.ई.पी.बी. लाइसेंस का उपयोग करता है या अधिशेष डी.ई. पी. बी. लाइसेंस को बेचने के लिए विज्ञापन आमंत्रित करता है। शर्तों के अनुसार, डी. ई. पी. बी. लाइसेंस ऐसे लाइसेंस के धारक को देश के किसी भी पोर्ट से आयात करने का अधिकार देता है। तदनुसार, अपीलार्थी आंध्रप्रदेश में विशाखापत्तनम बंदरगाह के माध्यम से एल्यूमीनियम का निर्यात कर रहा था। इन निर्यातों के खिलाफ, याचिकाकर्ता डी.ई. पी. बी.

योजना के तहत को कुछ आयात शुल्क पात्रता मिली। उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर में मुख्यालय से इसकी खुली नीलामी आयोजित की गई। उन नीलामियों में पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के बोलीदाता सबसे अधिक बोली लगाने वाले के रूप में उभरे। तदनुसार, अपीलर्थी ने डी.ई.पी.बी. लाईसेंस के तहत आयात शुल्क का हक उच्चतम बोलीदाताओं को बेच दिया और इसे अन्तर राज्यीय बिक्री मानते हुए सी.एस.टी. संग्रहित कर निर्यातक राज्य की सरकार यानी उड़ीसा को सी.एस.टी. का भुगतान किया।

आंध्रप्रदेश में मूल्यांकन अधिकारियों ने आन्ध्रप्रदेश के तहत संबंधित लेन-देन पर सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1956 के तहत डी. ई. पी. बी. लाईसेंसों के हस्तांतरण पर इस आधार पर कर लगाने का प्रस्ताव करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया कि ऐसे लाईसेंस विशाखापत्तनम बंदरगाह के साथ पंजीकृत थे जिसके माध्यम से निर्यात किया जाता था। अधिकारियों ने इसे आन्ध्र प्रदेश के भीतर स्थानीय बिक्री माना और तदनुसार कर लगाया।

अपीलार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष अपील दायर की- सिविल अपील नं. 1649-1654 2001 में तीन न्यायाधीशों की पीठ के 1 फरवरी 2005 के आदेश द्वारा निर्णय का निर्धारण करने के लिए न्यायाधिकरण द्वारा पद त्याग करने का निर्देश दिया गया। न्यायाधिकरण ने इस मामले को विचार के लिए लिया। आक्षेपित सामान्य निर्णय के द्वारा न्यायाधिकरण



ने मामले का फैसला अपीलार्थी के पक्ष में यह अभिनिर्धारित करते हुए किया कि बिक्री आंध्रप्रदेश राज्य के भीतर नहीं हुई थी। लेकिन माना कि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (संक्षेप में 'सी. एस. टी. अधिनियम') की धारा 4 (2) के अनुसार उड़ीसा राज्य के भीतर हुई थी। अंतिम निष्कर्ष जो इन अपीलों में चुनौती का विषय है इस प्रकार है:-

"चर्चाओं के आलोक में, हम मानते हैं कि बिक्री उड़ीसा राज्य के भीतर हुई न कि आन्ध्रप्रदेश राज्य के भीतर और इसे उड़ीसा राज्य के भीतर अन्तरराज्यीय बिक्री माना जाना चाहिए न कि आन्ध्रप्रदेश राज्य के भीतर अन्तरराज्यीय बिक्री।"

4. अपीलांत का इन अपीलों में यह कहना है कि अधिकरण यह निष्कर्ष नहीं दे सकता कि उड़ीसा राज्य में अन्तरराज्यीय बिक्री हुई। न्यायाधिकरण के समक्ष यह विवाद का विषय नहीं था। कठोर रूप से कहें तो किसी भी बिक्री कर को आकर्षित करने के लिए कोई बिक्री शामिल नहीं थी लेकिन बिना किसी सामग्री के कि कोई विक्रय हुआ था और वह भी उड़ीसा राज्य के भीतर अन्तरराज्यीय विक्रय, अधिकरण आक्षेपित निर्णय तक नहीं पहुँच सकता था। यह विवाद किया गया है कि उड़ीसा राज्य में लेन-देन के संबंध में केन्द्रीय बिक्री कर जमा किया गया है हालांकि कानूनी रूप से कोई कर देय नहीं था।

5. आन्ध्रप्रदेश राज्य के लिए विद्वान वकील ने निवेदन किया है कि न्यायाधिकरण ने बुनियादी मुद्दों का फैसला किया है कि आंध्रप्रदेश राज्य में कोई बिक्री नहीं थी। लेकिन उन तथ्यों के आधार पर इस अस्थाई निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उड़ीसा राज्य में अन्तरराज्यीय बिक्री हुई थी।

6. उड़ीसा राज्य के विद्वान वकील ने निवेदन किया कि न्यायाधिकरण के निष्कर्ष किसी भी दुर्बलता से ग्रस्त नहीं हैं। उनके अनुसार, एक टाइपोग्राफिक त्रुटि हो सकती है अर्थात् इंटर स्टेट बिक्री के स्थान पर इंद्रा स्टेट बिक्री।

7. यह स्पष्ट है कि न्यायाधिकरण के समक्ष विचार का दायरा बहुत सीमित था कि क्या कोई बिक्री आन्ध्रप्रदेश राज्य के भीतर हुई थी। उस मुद्दे का निर्णय लेने के बाद, न्यायाधिकरण को किसी अन्य प्रश्न में जाने की आवश्यकता नहीं थी, विशेष रूप से जब प्रासंगिक कारक उसके समक्ष नहीं थे। जैसा कि अपीलार्थियों द्वारा सही तर्क दिया गया है कि यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि बिक्री को उड़ीसा राज्य के भीतर अंतर-राज्यीय बिक्री के रूप में माना जा सकता है। आंकलन करने वाले अधिकारी गलत तथ्यों के आधार पर कर लगाने के लिए आगे बढ़े। अंतिम विश्लेषण में न्यायाधिकरण ने कहा कि बिक्री आंध्र प्रदेश राज्य के भीतर नहीं हुई थी। इस प्रभाव के निष्कर्ष कि वे उड़ीसा के भीतर अंतर-राज्यीय बिक्री हैं- स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं। यह सही निर्णय लिया गया था

कि आंध्रप्रदेश के भीतर कोई अंतर-राज्यीय बिक्री नहीं थी। लेकिन इससे आगे के निष्कर्ष के लिए कि यह उड़ीसा राज्य के भीतर एक बिक्री थी सामग्री की जाँच करने की आवश्यकता थी, जो कि नहीं किया गया है। न्यायाधिकरण के समक्ष एक निश्चित निष्कर्ष पर आने के लिए कोई सामग्री नहीं थी, जैसा कि किया गया था, कि लेन-देन उड़ीसा राज्य के भीतर अंतर-राज्यीय बिक्री के रूप में माना जाएगा। इसलिए, टिप्पणियों की कोई प्रासंगिकता नहीं है और उन्हें अपास्त करने की आवश्यकता है, जिसे हम निर्देशित करते हैं।

8. अपीलों को उपरोक्त सीमा तक अनुमति दी जाती है।

अपीलों को आंशिक रूप से अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी असीम कुलश्रेष्ठ (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।